संख्या-10/2016/4061/94-1-2016-218(14)/2015

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विषयः स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के 25 उप निबन्धक कार्यालयों को मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्ष 2016-17 में 25 उप निबन्धक कार्यालयों में फर्नीचर एवं उपकरणों के क्रय तथा अनावासीय भवनों की मरम्मत हेतु रू0 500.00 लाख की बजट व्यवस्था अनुदान संख्या-91 में की गयी है। उक्त में लेखाशीर्षक 2030 स्टाम्प पंजीकरण आयोजनेत्तर-03-पंजीकरण-001 निदेशन तथा प्रशासन-04 जिला व्यय-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में रू0 150.00 लाख तथा लेखाशीर्षक 2059 लोक निर्माण कार्य आयोजनेत्तर 01 कार्यालय भवन 051-निर्माण 03 अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख रखाव 29-अनुरक्षण में रू0 350.00 लाख की व्यवस्था है।

2- इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित उपर्युक्त धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) 25 उप निबन्धक कार्यालय, जो नीचे उल्लिखित हैं, को मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने व व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	उप निबन्धक कार्यालय का नाम	उप निबन्धक कार्यालयों की संख्या
1.	उप निबन्धक सदर, लखनऊ	05
2.	उप निबन्धक सदर, रायबरेली	01
3.	उप निबन्धक सदर, बाराबंकी	01
4.	उप निबन्धक सदर, जेवर, गौतमबुद्धनगर	01
5.	उप निबन्धक सदर, बरेली	02
6.	उप निबन्धक सदर, वाराणसी	03
7.	उप निबन्धक सदर, अलीगढ़	03
8.	उप निबन्धक सदर, गाजियाबाद	05
9.	उप निबन्धक सदर, फैजाबाद	01
10.	उप निबन्धक सदर, भरथना, इटावा	01
11.	उप निबन्धक सदर, देवरिया	01
12.	उप निबन्धक सदर, प्रतापगढ़	01
योग-		**25**

(1) उपरोक्तानुसार धनराशि को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(2) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन किया जाए।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- इस प्रकरण में शासनादेश संख्या-2385/94-1-16-312(104)/2016, दिनांक 30-09-2016 द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को नामित किये जाने के आदेश पूर्व में ही निर्गत किये जा चुके हैं।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत क्रमशः लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण-आयोजनेत्तर-03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 जिला व्यय-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण तथा लेखाशीर्षक 2059 लोक निर्माण कार्य आयोजनेत्तर-01 कार्यालय भवन-051 निर्माण-03 अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख रखाव-29 अनुरक्षण के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गई है। अतः उक्त आदेश में निहित निर्देश/ प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2016/4061(1)/94-1-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
9- गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।